

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सुपौल....., सं0.....17....., सन्2019.....

केस का प्रकार.....भूमि विवाद अपील.....(मो0 नसीम आलम एवं अन्य बनाम देव नारायण ठाकुर एवं अन्य व राज्य)...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
04.4.2026	<p>अभिलेख उपस्थापित ।</p> <p>प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली (सुपौल) के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-80/2018-19 (देव नारायण ठाकुर बनाम मो0 नसीम एवं अन्य) में दिनांक-16.3.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है । LCR एवं विपक्षीयण का Reply प्राप्त है ।</p> <p>Petitioner विगत 08 (आठ) तिथियों से सुनवाई में अनुपस्थित हैं । सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है । उनकी ओर से दिनांक-13.02.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया । दिनांक-13.02.2026 को पारित आदेश/वादी का इस वाद की कार्यवाही में अभिरूचि नहीं रहने के आलोक में इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।</p> <p>आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय । LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें ।</p> <p style="text-align: right;">P. K. 04/4/2026. आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा ।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित । P. K. 04/4/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p>	

